

प्रेषक,

राजीव कुमार,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य स्तर से जनपद हेतु नामित

समस्त नोडल अधिकारी, 30प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 24 अप्रैल, 2018

विषय: जनपद के नोडल अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की कार्यों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के साथ दिनांक 20.03.2018 को बैठक की गयी। उक्त बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले के नोडल अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों की समीक्षा करने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये ताकि उच्च स्तर से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो सके।

जनपद के लिए शासन स्तर से नामित नोडल अधिकारियों द्वारा जनपद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा एवं क्रियान्वयन की स्थिति का अवलोकन किया जायेगा-

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद को 02 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु शौचालय निर्माण की प्रगति।
2. जनपद को 02 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु शौचालय निर्माण के लिये आवश्यक संख्या में राजमिस्त्रियों को निर्माण कार्य में लगाये जाने की समीक्षा।
3. स्वच्छाग्रहियों को ग्रामों का स्वामित्व दिया जाना एवं उनके नियमित प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. निर्मित शौचालयों के सापेक्ष भारत सरकार के वेबसाइट पर कम से कम 80 प्रतिशत फोटो अपलोड/Geo-Tagging

5. जनपद स्तर पर ओडीओएफ(खुले में शौचमुक्त) घोषित ग्रामों के सापेक्ष जनपद स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित प्रस्तावों की समीक्षा।

6. दो गढ़े वाले जल बन्द शौचालय निर्माण का स्थलीय निरीक्षण।

7. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यरत मैनपावर को मानदेय आदि के नियमित भुगतान की समीक्षा एवं पत्रावली का अवलोकन।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के कार्य की समीक्षा और इसके क्रियान्वयन का पृथक से अनुश्रवण करने के साथ-साथ जनपद की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी एवं अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग को नियमित रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)

मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), 30प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), 30प्र0।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र0।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।